भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

****

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 50**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 नवम्बर, 2011/ 1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)**

**एस टी टी में कटौती हेतु प्रस्ताव**

**50. श्री नंद कुमार साय:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) में कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान एसटीटी की प्राप्ति में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) एसटीटी की प्राप्ति में आई ऐसी कमी को एसटीटी की दर में कटौती करके किस हद तक पूरा किया जा सकेगा ?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम )**

(क) जी, नहीं ।

(ख) लागू नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) वर्तमान तथा पिछले राजकोषीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि के दौरान प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) के संग्रहण के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

| प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण (करोड़ रूपय में) | | |
|---|---|---|
| 2010-11 (अप्रैल-अक्टूबर) | 2010-11 (अप्रैल-अक्टूबर) | प्रतिशत वृद्धि / कमी |
| 3602.43 | 2958.09 | (-) 17.89 % |

प्रतिभूति संव्यवहार करों का संग्रहण प्रतिभूति के मूल्य के साथ-साथ उसके व्यापार की मात्रा का प्रकार्य है।

(ङ.) उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

....................